न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प...................(म.प्र.)

नि -2403-PBR/16

प्र.क. /16 निगरानी

1. निर्भयसिंह पिता हिन्दुसिंह आयु 65 वर्ष,
2. मोकमसिंह पिता हिन्दुसिंह आयु 50 वर्ष,
3. पदमसिंह पिता नन्दराम आयु 50 वर्ष,
4. सिद्धूसिंह पिता जगन्नाथसिंह आयु 45 वर्ष,
सर्व जाति राजपुत, धंधा कृषि निवासी ग्राम बोलाई तहसील गुलाना जिला शाजापुर म.प्र.

प्रार्थी अभिभाषक श्री अनिल बोरा
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 1/7/16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

70
1/7/16

.................निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. दिपसिंह पिता घीसुसिंह आयु 52 वर्ष, जाति राजपुत धंधा कृषि निवासी ग्राम बोलाई तहसील व जिला शाजापुर म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा जिलाधीश महोदय जिला शाजापुर, जिलाधीश कार्यालय लालघाटी शाजापुर म.प्र.

..............प्रत्यार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व सहिंता विरूद्ध न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील गुलाना के आदेश दिनांक 12/02/2001 जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 5ए–19(4)/2000–01 दिपसिंह विरूद्ध म.प्र. शासन में खाता शामिल किये जाने हेतु पारित किया गया जिससे दुखित होकर।

माननीय महोदय,

निगरानी निगरानीकर्तागण निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रकरण का विवरण

01. यह कि ग्राम बोलाई तहसील व जिला शाजापुर में भूमि सर्वे कमांक 2196/2 रकबा 0.031 शासकीय भूमि के रूप में स्थित है जिसमें निगरानीकर्तागण के मकान लगे हुये है तथा उक्त भुमि मे निगरानीकर्तागण के पिढीयो से घुडे डाले जाते है तथा उक्त भुमि से होकर लगभग 100 वर्षो से अधिक पुराना ग्राम बोलाई से शाजापुर को जाने वाला कुराना होता हुआ आम–रास्ता स्थित है जो रूडीगत रहा है तथा जिससे लगी हुयी दरगाह–माफी की भुमि लगी है तथा जिसमें से आम रास्ता ग्राम बोलाई में अन्दर जाने का तथा दुसरी ओर मुख्य सडक से मिलने वाला रास्ता स्थित है लगभग बीस पच्चीस दिन पुर्व निगरानीकर्तागण की अनुपस्थिती तथा बिना सुचना के ग्राम पटवारी प्रत्यार्थी कमांक 1 के साथ आये व कुछ नापतोल कर कहने लगे कि निगरानीकर्तागण के घुडे तथा उक्त आम–रास्ता प्रत्यार्थी कमांक 01 की भूमि मे है तथा निगरानीकर्तागण की अनुपस्थिती में ही निगरानीकर्तागण के घुडो को प्रत्यार्थी की भुमि में बता कर चले गये जिसके पश्चात जब निगरानीकर्तागण मौके पर आये तो प्रत्यार्थी कमांक 01

R 2403-PB/2/16 SJR
निर्णयार्थ/ दीप सिंह

21.10.2016	आवेदकगण की ओर से श्री आनंद बरोड़ अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी शिकायती आवेदन पत्र के ~~निगरानी~~ के रूप में प्रस्तुत की गई है। अतः शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाये कि आवेदक को सुनकर आवेदन पत्र का निराकरण करें।
	अध्यक्ष